भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3774

(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947(शक) को दिया जाना है)

लगाया और एकत्र किया गया उपकर

3774. श्री राजकुमार रोतः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरकार द्वारा वर्तमान में देश में लगाए जा रहे उपकर के प्रकार क्या हैं;
(ख) सरकार द्वारा देश में प्रतिवर्ष एकत्रित किए जाने वाले उपकर की राशि का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का शहरी विकास के लिए लगाए गए 'स्वच्छता उपकर' या शिक्षा के लिए 'शिक्षा उपकर' की तर्ज पर अनुसूचित क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कोई उपकर लगाने/अधिरोपित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख) : वर्तमान में लगाए गए और सालाना एकत्र किए जाने वाले उपकरों के प्रकार **अनुलग्नक-ए** में संलग्न हैं।

(ग) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक क

प्रमुख करों के हिस्से के रूप में लगाए गए और एकत्र किए गए प्रमुख उपकरों का विवरण दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. स.	उपकर का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	संशोधित अनुमान 2025-26	बजट अनुमान 2026-27
उपकर जो प्रचालन में हैं:								
1	कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर	0.00	76950.68	74142.03	80923.60	75455.06	81580.00	85440.00
2	कच्चे तेल पर उपकर	10894.44	19353.84	21497.14	18803.41	17931.29	15810.00	16210.00
3	निर्यात पर उपकर	9214.64	1457.10	852.44	-3.19	9.05	10.00	10.00
4	वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर**	85191.91	104768.66	125862.41	141436.16	150569.84	88000.00	0.00
5	स्वास्थ्य उपकर	-13.52	31.02	24.01	22.90	0.14	0.00	0.00
6	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर	35821.55	52732.33	61809.29	71156.96	84337.16	90000.00	100000.00
7	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	5098.81	6138.30	7168.30	7812.25	8341.22	10140.00	10910.00
8	सड़क एवं अवसंरचना उपकर*	235782.55	195986.96	59234.95	44552.49	44679.82	45780.00	46930.00
9	स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2330.00	14000.00
	कुल (1 से 9)	**381990.38**	**457418.89**	**350590.57**	**364704.58**	**381323.58**	**333650.00**	**273500.00**

** इसमें पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शामिल है, जिसे 'सड़क और अवसंरचना उपकर' की शुरुआत से पहले 'सड़क उपकर' के रूप में जाना जाता था।*

*** दिनांक 1 फरवरी, 2026 से जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर नहीं लगाया गया है।*